राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः आईपीआई/पी.3/24(ए)/58/775
दिनांकः 7, जुलाई, 2015

परिपत्र

विषय :- आवंटित भूखण्डों का निरीक्षण करने के पश्चात साईट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में।

राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक/आवासीय/सांस्थानिक/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूखण्डों का संबंधित इकाई प्रमुख द्वारा निर्देशित अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा आवंटित भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का समय-समय पर निरीक्षण कर साईट रिपोर्ट ली जाती है। प्रायः यह देखा गया है कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा साईट का निरीक्षण करने के पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अनावश्यक देरी की जाती है। अतः समस्त इकाई प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी को पाबन्द करें कि आवंटित भूखण्ड का निरीक्षण करने के पश्चात निरीक्षण रिपोर्ट 3 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। किसी विशेष परिस्थिति में यदि निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समय लगने की सम्भावना हो, तो संबंधित इकाई प्रमुख को कारणों से अवगत कराते हुये वांछित अनुमति प्राप्त करें।

उक्त परिपत्र प्रबन्ध निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

07/07/2015
सलाहकार (इन्फ्रा)